संख्या-161/2022/556/001-23-9002-002-17-2022-लो0नि0अनु0-9

फाईल नं0-20ए0सी0/04टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष्,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 02 नवम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मूल्य ह्रास निधि के अन्तर्गत प्राविधानित बजट से धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियंता(ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-790ए0पी0/33ए0पी0/04/2016-17, दिनांक 09.06.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें ।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार मूल्य ह्रास निधि के अन्तर्गत मशीनें/उपस्कर क्रय हेतु निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में पूर्व में समर्पित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 में तालिका के स्तम्भ-7 के अनुसार कुल रू0 9,83,30,480/- (रूपये नौ करोड़ तिरासी लाख तीस हजार चौर सौ अस्सी मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :- (धनराशि रूपये में)

क्र.	मशीनों/संयंत्रों का विवरण	पूर्व में स्वीकृत संबंधित शासनादेश	मशीनों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समर्पित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	रोड एम्बुलेन्स(ट्रस माउन्टेड पेट्रोल मेन्टेनन्स यूनिट)	68/2021/405/23-9-2021-20ए0सी0/04टीसी0, दि0 17.03.2021	1	3681600.00	961600.00	961600.00
2	10 केवीए डी0जी0 सेट	28/2022/114/23-9-2022-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 10.03.2022	1	290130.00	290130.00	290130.00
3	ट्रैक्टर(30-35 एच0पी0)	28/2022/114/23-9-2022-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 10.03.2022	3	1346250.00	1346250.00	1346250.00
4	125 केवीए डी0जी0 सेट	28/2022/114/23-9-2022-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 10.03.2022	1	919000.00	919000.00	919000.00
5	बैकहू लोडर	28/2022/114/23-9-2022-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 10.03.2022	1	2780000.00	2780000.00	2780000.00
6	हाट मिक्स प्लांट(40-60 टीपीएच)	28/2022/114/23-9-2022-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 10.03.2022	1	8997500.00	8997500.00	8997500.00
7	स्टेटिक रोड रोलर(8-10टन)	44/2022/138/23-9-2021-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 30.03.2022	20	33036000.00	33036000.00	33036000.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्र.	मशीनों/संयंत्रों का विवरण	पूर्व में स्वीकृत संबंधित शासनादेश	मशीनों की संख्या	स्वीकृत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में समर्पित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
8	वाईब्रेटरी रोड रोलर(8 एम0टी0)	44/2022/138/23-9-2021-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 30.03.2022	6	21000000.00	21000000.00	21000000.00
9	सेंसर पेवर(2.5एम - 4.5 एम)	44/2022/138/23-9-2021-20ए0सी0/ 04टीसी0, दि0 30.03.2022	4	29000000.00	29000000.00	29000000.00
	योग					**98330480.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) मूल्य ह्रास आरक्षित निधि के लेखे में धनराशि का अन्तरण, निधि से व्यय एवं अवशेष धनराशि का नियमानुसार सत्यापन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद से मिलान कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रशा0 विभाग/विभागाध्यक्ष का होगा।

(2) मशीनों का क्रय सुसंगत वित्तीय एवं वर्तमान नियमों, शासन के स्थायी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

मशीनों का क्रय सुसंगत वित्तीय एवं वर्तमान नियमों, शासन के स्थायी शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि केवल प्रश्नगत मशीनों के क्रय पर ही व्यय की जायेगी।

(4) समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत मितव्ययता के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है उसी कार्य/मद पर प्रत्येक दशा में व्यय किया जायेगा।

(7) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(8) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-132022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 के प्रस्तर-2(10) में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) स्तम्भ-3 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

(10) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,83,30,480 (रुपये नौ करोड़ तिरासी लाख तीस हजार चार सौ अस्सी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054808000400 मूल्य ह्रास आरक्षित निधि से मशीनरी तथा उपस्कर क्रय **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-180-X-2022-23- दिनांक: 17-10-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

संख्या-161/2022/556(1)/001-23-9002-002-17-2022-लो0नि0अनु0-9 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।

2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3 प्रमुख अभियंता(ग्रामीण सड़क) लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
7- मुख्य अभियन्ता (वि0/यां0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।